

कोडरमा समाहरणालय, कोडरमा

कार्यालय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-सक्षम प्राधिकारी
(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम-1956 के अन्तर्गत) कोडरमा।

संशोधित नोटिस

एन0एच0 एक्ट-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत

स्थान:-कोडरमा

संख्या:-.../18...

दिनांक.....17/...02.../2022

भू-अर्जन चाद सं0:-09/2014-15

पंचाट की संख्या:-9(छ)।

पंचाटी का नाम:- मो0 महफुज पिता-मो0 हारीम साकिन-असना।

वजरीये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपके दावे के अनुसार निम्न वर्णित भूमि का अधिग्रहण एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत बरही से रजौली तक फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है, जिसके विरुद्ध आपको मो0-16,02,932.00 (सोलह लाख दो हजार नौ सौ बत्तीस रूपये) दिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि आपको लेना मंजूर हो तो आप स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अर्जित की जाने वाली भूमि का अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत स्वामित्व एवं दखल से संबंधित प्रमाण पत्र एवं निम्नलिखित कागजातों के साथ दिनांक.23/02/2022 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि आप उपस्थित नहीं हो सके तो ब्याज नहीं दिया जायेगा। सभी प्रपत्रों के जाँचोपरांत मुआवजा भुगतान हेतु कार्रवाई की जायेगी।

आपके द्वारा गलत दावा किये जाने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

मौजा का नाम /थाना का नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	अर्जित रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
असना/245	94	2167 2180	0.00650 0.01083 0.01733	आवासीय

आवश्यक कागजात

01. अद्यतन लगान रसीद
02. केवाला का छायाप्रति
03. खतियान का छायाप्रति
04. शपथ पत्र
05. बन्ध पत्र(अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत)
06. बैंक पासबुक का छायाप्रति
07. दो फोटो पासपोर्ट साईज
08. मतदता पहचान पत्र
09. आधार कार्ड
10. वंशावली(अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)
11. पैन कार्ड
12. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C)
(अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)

Daud
Mun



अशोक कुमार
(अमीन)

सक्षम प्राधिकारी-सह-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
कोडरमा।

(एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत)

अमर कुमार

कोडरमा समाहरणालय, कोडरमा

कार्यालय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-सक्षम प्राधिकारी
(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम-1956 के अन्तर्गत) कोडरमा।

संशोधित नोटिस

एन0एच0 एक्ट-1956 की धारा 311 के अन्तर्गत

स्थान:-कोडरमा

संख्या:-120...

दिनांक.....17/.../2022

भू-अर्जन वाद सं0:-09/2014-15

पंचाट की संख्या:-9(छ)III

पंचाटी का नाम:- मो0 अजहर मसुद पिता-मो0 हासीम साकिन-असना।

वजरीये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपके दावे के अनुसार निम्न वर्णित भूमि का अधिग्रहण एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत बरही से रजौली तक फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है, जिसके विरुद्ध आपको मो0-16,03,475.00 (सोलह लाख तीन हजार चार सौ पचहत्तर रूपये) दिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि आपको लेना मंजुर हो तो आप स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अर्जित की जाने वाली भूमि का अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत स्वामित्व एवं दखल से संबंधित प्रमाण पत्र एवं निम्नलिखित कागजातों के साथ दिनांक: 23/02/2022 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि आप उपस्थित नहीं हो सके तो ब्याज नहीं दिया जायेगा। सभी प्रपत्रों के जाँचोपरांत मुआवजा भुगतान हेतु कार्रवाई की जायेगी।

आपके द्वारा गलत दावा किये जाने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

मौजा का नाम /थाना का नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	अर्जित रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
असना/245	94	2167 2180	0.00650 0.01084 0.01734	आवासीय

आवश्यक कागजात

01. अद्यतन लगान रसीद
02. केवाला का छायाप्रति
03. खतियान का छायाप्रति
04. शपथ पत्र
05. बन्ध पत्र(अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत)
06. बैंक पासबुक का छायाप्रति
07. दो फोटो पासपोर्ट साईज
08. मतदता पहचान पत्र
09. आधार कार्ड
10. वंशावली(अंचलअधिकारीद्वारा निर्गत)
11. पैन कार्ड
12. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C)
(अंचलअधिकारी द्वारा निर्गत)

Dang
Ain

अशोक कुमार
(अ.मी.न)

अजहर मसुद

W
सक्षम प्राधिकारी-सह-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
कोडरमा।

(एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत)

कोडरमा समाहरणालय, कोडरमा

कार्यालय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-सक्षम प्राधिकारी
(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम-1956 के अन्तर्गत) कोडरमा।

संशोधित नोटिस

एन0एच0 एक्ट-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत

स्थान:-कोडरमा संख्या:-119... दिनांक.....17/02/2022
भू-अर्जन वाद सं0:-09/2014-15 पंचाट की संख्या:-9(छ)II
पंचाटी का नाम:- मो0 मकसुद आलम पिता-मो0 हासीम साकिन-असना।


वजरीये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपके दावे के अनुसार निम्न वर्णित भूमि का अधिग्रहण एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत बरही से रजौली तक फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है, जिसके विरुद्ध आपको मो0-16,02,933.00 (सोलह लाख दो हजार नौ सौ तैतीस रूपये) दिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि आपको लेना मंजुर हो तो आप स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अर्जित की जाने वाली भूमि का अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत स्वामित्व एवं दखल से संबंधित प्रमाण पत्र एवं निम्नलिखित कागजातों के साथ दिनांक 23/02/2022 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि आप उपस्थित नहीं हो सके तो ब्याज नहीं दिया जायेगा। सभी प्रपत्रों के जाँचोपरांत मुआवजा भुगतान हेतु कार्रवाई की जायेगी।


आपके द्वारा गलत दावा किये जाने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

मौजा का नाम /थाना का नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	अर्जित रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
असना/245	94	2167 2180	0.00650 0.01083 0.01733	आवासीय

आवश्यक कागजात

- अद्यतन लगान रसीद
- केवाला का छायाप्रति
- खतियान का छायाप्रति
- शपथ पत्र
- बन्ध पत्र(अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत)
- बैंक पासबुक का छायाप्रति
- दो फोटो पासपोर्ट साईज
- मतदता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- वंशावली(अंचलअधिकारीद्वारा निर्गत)
- पैन कार्ड
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C)
(अंचलअधिकारी द्वारा निर्गत)


अनवर कुमार
(अधीन)


सक्षम प्राधिकारी-सह-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
कोडरमा।
(एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत)

अनवर मसूद